सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 110 / 2025 दर्ज दिनांक : 19.08.2025

1. चौथूराम पुत्र भैराराम जाति रैगर निवासी रैगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू

–वादी–

बनाम

1. सांवरमल पुत्र भोलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति रैगर निवासी रैगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. मोतीलाल पुत्र भोलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति रैगर निवासी रैगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. घनश्याम पुत्र भोलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रैगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. गणेश कुमार पुत्र भोलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति रैगर निवासी रैगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. मन्जू देवी पुत्री भोलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति रैगर निवासी रैगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील द जिला चूरू (राज.)
6. खेती देवी पुत्री भोलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति रैगर निवासी रैगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. सोनी देवी पुत्री भोलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति रैगर निवासी रैगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. कालू पुत्र भगवानाराम पुत्र भोलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति रैगर निवासी रैगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
9. गंगा पुत्री भगवानाराम पुत्र भोलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति रैगर निवासी रैगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
10. बबलू पुत्र भगवानाराम पुत्र भोलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति रैगर निवासी रैगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
11. माया पुत्री भगवानाराम पुत्र भोलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
12. भंवरलाल पुत्र मनी देवी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदन चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
13. गिरधारीलाल पुत्र मनी देवी पुत्री दुर्गाराम जाति रैगर निवासी रैगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
14. गीता पुत्री मनी देवी पुत्री दुर्गाराम जाति रैगर निवासी रैगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:46 IST
Reason: SelfAttested

15. सन्तोष पुत्री मनी देवी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांव चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
16. मीरा पुत्री मनी देवी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
17. कमल पुत्र बनवारीलाल पुत्र मनी देवी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
18. धोलू पुत्र बनवारीलाल पुत्र मनी देवी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
19. मनीष पुत्र बनवारीलाल पुत्र मनी देवी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी वस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
20. मोहित पुत्र बनवारीलाल पुत्र मनी देवी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
21. जोनी पुत्र सुमित्रा पुत्री मनी देवी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
22. पूजा पुत्री सुमित्रा पुत्री मनी देवी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
23. रामस्वरूप पुत्र सुमित्रा पुत्र मनी देवी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
24. उप पंजीयक महोदय, चूरू तहसील व जिला चूरू
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू तहसील व जिला चूरू

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री शिवगौतम सोलंकी
प्रतिवादीगणः— एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92(क), 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

: निर्णय :

1. आज पत्रावली अन्तर्गत धारा—88, 92(क), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा प्रतिवादी के पिता दुर्गाराम पुत्र आसाराम की कृषि भूमि के मूल खसरा नम्बर 385 तादादी 51 बीघा 11 बिश्वा वाके रोही ग्राम कड़वासर तहसील व जिला चूरू की खातेदारी की है जिसमें वादी ने उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी के पिता दुर्गाराम पुत्र आसाराम से दिनांक 06.04.1985 को विक्रय पत्र से खरीद की हुई है जिसका इन्तकाल दिनांक 26.07.1985 को पंचायत सहजूसर द्वारा तस्दीक किया गया जिसमें इन्तकाल के साथ ही विभाजन कर वादी के खसरा नम्बर 511/385 तादादी 21 बीघा दर्ज कर खसरा नम्बर [illegible] कर दिया [illegible] कि वादी की विक्रय पत्र दिनांकित 06.04.1985 के द्वारा रजिस्ट्री के पैरा में यह स[illegible] अक[illegible] किया गया कि उक्त कृषि भूमि के विक्रय पत्र में दिशा का स्पष्ट [illegible] और उतरी तरफ की कृषि भूमि जो कि पूर्व में दुर्गाराम[illegible] दिनांक 03.06.1976 में उतरादी जमीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:46 IST
Reason: SelfAttested

विक्रय पत्र में प्रतिवादी क पिता दुर्गाराम द्वारा नानूराम वल्द मालाराम को पहले से दी गई 13 बीघा उतरादी भूमि दे दी गई तथा बाद में बची दुर्गाराम की शेष भूमि में से उतरादे में नानूराम बीच में वादी एवं दक्षिण में बाकी बची भूमि दुर्गाराम को विक्रय पत्र द्वारा अंकन करते हुए विक्रय कर दी गई।

2. विक्रय पत्र में यह स्पष्ट कहा गया कि उतरादी तरफ की भूमि नानूराम को 13 बीघा जमीन दी गई और बीच की भूमि वादी को दी गई तथा बाकी बची भूमि दुर्गाराम के हक में रही अर्थात् नानूराम व दुर्गाराम के बीच की भूमि वादी चौथूराम के कब्जे काश्त में दे दी गई। जिन दोनों विक्रय पत्रों की प्रमाणित प्रति दावा हाजा के साथ संलग्न की जा रही है। क्रय करने के बाद उक्त कृषि भूमि पर कब्जा, काश्त व अधिकार मालिकाना निर्वाद्ध रूप से वादी का ही चला आ रहा है।

3. उक्त विक्रय पत्र में वादी के स्पष्ट अंकन था कि नानूराम व दुर्गाराम के बीच की कृषि भूमि वादी को विक्रय कर दी गई थी जबकि पटवारी हल्का द्वारा विभाजन के समय गलत रूप से तरमीम कर दी गई थी क्योंकि पहले से विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1976 को किन्हीं कारणों से उक्त विक्रय पत्र का नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ जिस कारण पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी को सहवन से उक्त विक्रय पत्र का अवलोकन नहीं किया गया जिस कारण तरमीम गलत हो गई जो विधि विरूद्ध होने से न्याय संगत नहीं है। वादी के विक्रय पत्र व कब्जे काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम शुद्ध करते हुए रास्ते का अंकन किया जावे जिसके लिए उक्त दावा अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है।

4. दुर्गाराम ने अपने जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 385 के दो विक्रय पत्र किये जिनमें पहला विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1976 को खसरा नम्बर 385 की उतरादी कृषि भूमि नानूराम पुत्र मालाराम जाति रेगर निवासी चूरू को 13 बीघा भूमि विक्रय कर दी एवं दूसरा विक्रय पत्र दिनांक 06.04.1985 को नानूराम व दुर्गाराम के बीच की भूमि जो कि विक्रय पत्र में दिशा का अंकन करते हुए मुझ वादी को विक्रय कर दी जिसमें पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण के समय किसी प्रकार से विक्रय पत्र का अध्ययन नहीं किया जिस कारण पटवारी हल्का द्वारा मुझ वादी के नक्शे में गलत तरमीम कर दी जबकि उतरादी में कृषि भूमि पर प्रथम विक्रय पत्र नानूराम क्रेता के कब्जे में चला आ रहा है और नानूराम व दुर्गाराम के वारिसों के बीच की भूमि मुझ वादी के नाम कब्जा दुर्गाराम ने सम्भलाया था जिस पर आज तक मुझ वादी द्वारा ही ट्यूबवैल व मकानात आदि बनाये हुए हैं जिसकी फोटो प्रति मेरे द्वारा दावा हाजा के साथ अदालत मातहत में पेश की जा रही है।

5. वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से 23 को कहा व कहलवाया कि वादी की कृषि भूमि पर उन्होंने इन्तकाल व विभाजन के समय जो गलत तरमीम करवा दी उसे साथ चलकर दुरूस्त करवा देवें मगर प्रतिवादी संख्या 01 से 23 टाल–मटोल करते रहे एवम् आखिरकार दिनांक 13.08.2025 को प्रतिवादी संख्या 01 से 23 ने ऐसा करने से साफ–साफ इन्कार कर दिया। वादी को साफ मना करने के कारण वादकारण तथा वाद–हेतुक वादी को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त हो गया है।

6. निवास स्थान फेरीकेन व वादग्रस्त कृषि भूमि जो कि ग्राम कड़वासर तहसील व जिला चूरू में अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को दावा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा दावा मुकर्रर शुदा कोर्ट [illegible] प्रकार से जानकारी होते ही दावा हाजा अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वादी की ओर से [illegible] निवेदन है कि वादी का दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादी के [illegible] के अनुसार कृषि भूमि की तरमीम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:46 IST
Reason: SelfAttested

करवाई जावे एवम् हर्जा खर्चा दावा वादी को प्रतिवादी संख्या 01 से 23 से दिलवाया जावे एवं अन्य हितकर अनुतोष जो हो अथवा दौराने सुनवाई दावा हो जावे वोह भी दिलवाया जावे।

(क) घोषित किया जावे कि वादी के विक्रय पत्र व कब्जे काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम शुद्ध करते हुए रास्ते का अंकन किया जावे एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 23 को जरिये चिरनिषेधाज्ञा वर्जित किया जावे कि वादी के विक्रय पत्र व कब्जे काश्त की भूमि पर किसी प्रकार की दखल अंदाजी प्रतिवादी सं 1 ता 23 ना करें ना ही ऐसा कोई कार्य अथवा उपकार्य करे अथवा करावें जिससे कि वादी के अधिकारों पर विपरीत असर पड़े। और इसी मुताबिक संशोधित तरमीम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाई जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 से दिलवाया जावे।

(ग) अन्य न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने वाद हो जावे वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 ता 23 से दिलवाया जावे।

7. वादीगण की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के खिलाफ विधिवत् तामिल बाद भी उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 25 तहसीलदार चूरू भूमिधारी है।

8. प्रकरण में चौथूराम पुत्र भैराराम पी.डब्ल्यू.–01 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर दावा में प्रस्तुत कथनों को दौहराते हुए शपथ–पत्र पेश किया गया।

9. प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के पश्चात् पत्रावली वादीगण साक्ष्य में नियत की गई।

10. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए–

- विक्रय–पत्र (प्रदर्श–1)
- इन्तकाल दिनांक 26.07.1985 (प्रदर्श–3)
- प्रमाणित जमाबंदी (प्रदर्श–4)
- शपथ–पत्र मय कुर्सीनामा (प्रदर्श–4)
- आधार कार्ड (प्रदर्श–5 ए)
- फोटो मुल (प्रदर्श–6 व 7)

11. प्रकरण में गवाह प्रभूदयाल सेवलिया पुत्र भेराराम सेवलिया पी.डब्ल्यू.–02 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत किया जिसमें मैं वादी व प्रतिवादी को दोनों को जानता हूं एवं उनकी दोनों कृषि भूमि को जानता हूं। दुर्गाराम ने अपनी कृषि में से उतरादी कृषि भूमि 13 बीघा 1976 में विक्रय कर दी जिस पर कब्जा व काश्त नानूराम पुत्र मालाराम का चला आ रहा है। दुर्गाराम ने बाकी बची हुई कृषि भूमि में से 21 बीघा जमीन चोथूराम पुत्र भैराराम को विक्रय कर दी गई और उस पर चौथुराम पुत्र भैराराम ने अपने खेत के चारों ओर तारबंदी कर रखी है व उसमें आवासीय मकान बनाये हुये हैं और बोरिंग कर उस पर काश्त करता चला आ रहा है एवं किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं है।

12. प्रकरण के अवलोकन से यह विदित होता है कि वाद मुख्यतः अभिलेखीय साक्ष्यों पर आधारित है अतः इस प्रकरण में पृथक से तनकीयात निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। वादीनी द्वारा अपने पक्ष में साक्ष्य शपथ–पत्र पी.डब्ल्यू 1 [illegible] किया गया अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करने के कथन पर वादी [illegible] जा[illegible]। प्रतिवादी संख्या 1 से 23 के एकपक्षीय रहने से प्रतिवादी सा[illegible] प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:46 IST
Reason: SelfAttested

13. अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान दावा में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए दावा में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए घोषित किया जावे कि वादी के विक्रय पत्र व कब्जे काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम शुद्ध करते हुए रास्ते का अंकन किया जावे एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 23 को जरिये चिरनिषेधाज्ञा वर्जित किया जावे कि वादी के विक्रय पत्र व कब्जे काश्त की भूमि पर किसी प्रकार की दखल अंदाजी प्रतिवादी सं 1 ता 23 ना करें ना ही ऐसा कोई कार्य अथवा उपकार्य करे अथवा करावें जिससे कि वादी के अधिकारों पर विपरीत असर पड़े। और इसी मुताबिक संशोधित तरमीम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाई जावे।

14. आज प्रकरण निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 23 को विधिवत समन तामील होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी का संक्षेप में कथन है कि उसने प्रतिवादीगण के पूर्वज दुर्गाराम से दिनांक 06.04.1985 के पंजीकृत विक्रय–पत्र द्वारा वादगत कृषि भूमि (खसरा नं. 385 से संबंधित भाग) क्रय की, जिसका नामांतरण दिनांक 26.07.1985 को प्रमाणित हुआ। किन्तु राजस्व अभिलेख में गलत तरमीम कर दी गई, जो विक्रय पत्र एवं वास्तविक कब्जे के विपरीत है। अभिलेख से यह स्थापित होता है कि दुर्गाराम द्वारा दिनांक 03.06.1976 को 13 बीघा भूमि नानूराम को विक्रय की गई। तत्पश्चात दिनांक 06.04.1985 को शेष भूमि में से मध्य भाग वादी को विक्रय किया गया। वादी उक्त भूमि पर लगातार कब्जा, काश्त एवं उपयोग करता चला आ रहा है। नामांतरण/तरमीम करते समय विक्रय पत्रों का समुचित अवलोकन नहीं किया गया, जिससे राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि उत्पन्न हो गई। वादी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किए गए विक्रय–पत्र (प्रदर्श–1) नामांतरण (प्रदर्श–3) जमाबंदी (प्रदर्श–4) शपथ–पत्र एवं अन्य दस्तावेज साथ ही, गवाह पी.डब्ल्यू.–02 प्रभूदयाल द्वारा स्पष्ट रूप से पुष्टि की गई कि भूमि का विक्रय क्रम अनुसार हुआ, वादी का कब्जा वास्तविक एवं निरंतर है, भूमि पर वादी द्वारा निर्माण एवं काश्त किया जा रहा है प्रतिवादीगण द्वारा कोई प्रतिवाद या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। विधि का स्थापित सिद्धांत है कि वैध विक्रय–पत्र एवं वास्तविक कब्जा होने पर संबंधित व्यक्ति को राजस्व अभिलेखों में सही प्रविष्टि का अधिकार होता है। विधिसम्मत पंजीकृत विक्रय–पत्र संपत्ति के अधिकार का वैध आधार होता है। पंजीकृत विक्रय से स्वामित्व का अधिकार हस्तांतरित होता है। उपरोक्त साक्ष्य एवं विधिक स्थिति के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय–पत्र वैध एवं प्रमाणित है वादी का वादगत भूमि पर वास्तविक कब्जा एवं काश्त सिद्ध है राजस्व अभिलेख में की गई तरमीम त्रुटिपूर्ण है वादी राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कराने का अधिकारी है अतः

–::आदेश::–

वादी का आंशिक वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर घोषित किया जाता है कि वादी के विक्रय–पत्र दिनांक 06.04.1985 एवं वास्तविक कब्जे के अनुसार वादगत कृषि भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेख में की गई तरमीम त्रुटिपूर्ण है। संबंधित राजस्व अभिलेखों में वादी के विक्रय–पत्र एवं वास्तविक स्थिति के अनुसार तरमीम शुद्ध की जावे। तहसीलदार चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में आवश्यक संशोधन ने के आदेश दिये जाते है। पक्षकार अपने–अपने [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:46 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री पृथक से तैयार की जाकर पालनार्थ हेतु संबंधित तहसीलदार को भिजवाई जावे। आदेश जारी हो।

यह प्रारम्भिक निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.04.2026 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:46 IST
Reason: SelfAttested

चौथूराम बनाम सांवरमल आदि

110 / 2025

निर्णय दिनांक:—06.04.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–। आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 110 / 2025 दर्ज दिनांक : 19.08.2025

1. चौथूराम पुत्र भैराराम जाति रैगर निवासी रैगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू

—वादीगण—

बनाम

1. सांवरमल पुत्र भोलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति रैगर निवासी रैगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. मोतीलाल पुत्र भोलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति रैगर निवासी रैगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. घनश्याम पुत्र भोलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रैगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. गणेश कुमार पुत्र भोलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति रैगर निवासी रैगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. मन्जू देवी पुत्री भोलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति रैगर निवासी रैगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील द जिला चूरू (राज.)
6. खेती देवी पुत्री भोलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति रैगर निवासी रैगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. सोनी देवी पुत्री भोलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति रैगर निवासी रैगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. कालू पुत्र भगवानाराम पुत्र भोलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति रैगर निवासी रैगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
9. गंगा पुत्री भगवानाराम पुत्र भोलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति रैगर निवासी रैगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
10. बबलू पुत्र भगवानाराम पुत्र भोलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति रैगर निवासी रैगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
11. माया पुत्री भगवानाराम पुत्र भोलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
12. भंवरलाल पुत्र मनी देवी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदन चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
13. गिरधारीलाल पुत्र मनी देवी पुत्री दुर्गाराम जाति [illegible] निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
14. गीता पुत्री मनी देवी पुत्री दुर्गाराम जाति [illegible] चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:46 IST
Reason: SelfAttested

15. सन्तोष पुत्री मनी देवी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांव चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
16. मीरा पुत्री मनी देवी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
17. कमल पुत्र बनवारीलाल पुत्र मनी देवी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
18. धोलू पुत्र बनवारीलाल पुत्र मनी देवी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
19. मनीष पुत्र बनवारीलाल पुत्र मनी देवी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी वस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
20. मोहित पुत्र बनवारीलाल पुत्र मनी देवी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
21. जोनी पुत्र सुमित्रा पुत्री मनी देवी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
22. पूजा पुत्री सुमित्रा पुत्री मनी देवी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
23. रामस्वरूप पुत्र सुमित्रा पुत्र मनी देवी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
24. उप पंजीयक महोदय, चूरू तहसील व जिला चूरू
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू तहसील व जिला चूरू

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री शिवगौतम सोलंकी
प्रतिवादीगणः– एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92(क), 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

: डिक्री पर्चा :

वादी का आंशिक वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर घोषित किया जाता है कि वादी के विक्रय–पत्र दिनांक 06.04.1985 एवं वास्तविक कब्जे के अनुसार वादगत कृषि भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेख में की गई तरमीम त्रुटिपूर्ण है। संबंधित राजस्व अभिलेखों में वादी के विक्रय–पत्र एवं वास्तविक स्थिति के अनुसार तरमीम शुद्ध की जावे। तहसीलदार चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में आवश्यक संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पक्षकार अपने–अपने व्यय वहन करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 06.04.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:46 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)